तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/787/2006/टोंक** **रंगलाल बनाम तिबारा श्री रामदयाल जी महाराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2022	**खण्डपीठ** **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री वी0पी0सिंह, अभिभाषक अपीलांट के। श्री अजीत लोढा, अभिभाषक रेस्पो0 के। **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबनध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक दिनांक 31.01.2006 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/ वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, टोडारायसिंह के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 379 रकबा 0.62 है0 व खसरा नं0 447 रकबा 0.44 है0 वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलांटस/प्रतिवादी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा कार्यवाही करते हुये दिनांक 23.12.98 को वाद निर्णित करते हुये अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी तथा उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 28.10.99 को डिक्री जारी कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को दिनांक 14.06.2002 को हुई जब वादी/रेस्पो0 ने उसे भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। जिस पर अपीलांट ने बिना विलंब किये उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष समय अपील मय मियाद अधिनियम अंतर्गत धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/787/2006/टोंक** **रंगलाल बनाम तिबारा श्री रामदयाल जी महाराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2006 को अपील को मियाद बाहर मानकर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 31.01.2006 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य, दस्तावेज तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांटस को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान नहीं कर एकतरफा में रेस्पो0 का वाद डिक्री कर दिया जबकि रेस्पो0 1 का वादगस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा है। बल्कि अपीलांटस उनके पूर्वजों के समय से तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के कई वर्षो पूर्व से वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति रेस्पो0 1 का वाद पोषणीय नहीं था फिर भी विचारण न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही कर वादी का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने विधिक विरूद्ध निर्णय से उसे यथावत रखा है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट को विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 14.06.2002 को होने के पश्चात अपीलांट ने जानकारी से अन्दर मियाद अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने बिना ठोस कारण बताये केवल मात्र यह कहते हुये कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणो से हम संतुष्ट नहीं हैं, अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया उनका निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/787/2006/टोंक** **रंगलाल बनाम तिबारा श्री रामदयाल जी महाराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गौर नहीं किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में माफी तिबारा श्री रामदयाल जी महाराज के नाम से दर्ज है जो कि मंदिर नहीं होने से शाश्वत नाबालिग की परिभाषा में नहीं आता है तथा माफी रिज्यूम होने से पूर्व से ही अपीलांट्स उक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिए वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 के तहत विवादित आराजी के खातेदार हो गये है। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअदांज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय पारित किये हैं, जो निरस्तनीय हैं। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांटस ने अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलीय न्यायालय में दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया था जिसमें विवादित आराजी पर अपीलाटंस का कब्जा संवत 2010 से निरंतर साबित होता है फिर भी अपीलीय न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात को नजरअदांज कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व ड्रिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को उनकी साक्ष्य व सुनवाई हेतु कई अवसर प्रदान किये परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है जो विधिसम्मत थी। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी तथा मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण अपीलीय न्यायालय को संतोषप्रद नहीं लगे इसलिए ही उन्होंने अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज की है जो एक विधिक व न्यायिक प्रक्रिया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी माफी तिबारा श्री रामदयाल जी महाराज से संबंधित भूमि है। कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत मंदिर मूर्ति (माफी) एक शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में माने गये है। अतः मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/787/2006/टोंक** **रंगलाल बनाम तिबारा श्री रामदयाल जी महाराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को निजी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं विधिसम्मत हैं। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का गहना से अवलोकन किया। इस अपील व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात के संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि विवादित भूमियों का जिस प्रकार जमाबंदी में अंकन है उसी आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण की तामील के संबंध में पर्याप्त कार्यवाही की थी। प्रतिवादीगण 1-4 व 7-8 परीक्षण न्यायालय में जरिये अभिभाषक उपस्थित हो गये थे। उन्हें वर्ष 1994 से 1997 तक अनेक बार जबाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके उपरांत भी अपीलांट पक्ष द्वारा परीक्षण न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। इस प्रकरण में अपीलांटस द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2005 को प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलीय न्यायालय दिनांक 04.05.2005 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये संबंधित दस्तावेजात को साक्ष्य में लेने का निर्णय किया। अपीलांट/प्रतिवादीगण के परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हो जाने के पश्चात भी उन्हें संबंधित निर्णय की जानकारी नहीं होने का तथ्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/787/2006/टोंक** **रंगलाल बनाम तिबारा श्री रामदयाल जी महाराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकार योग्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विवादित भूमियों में अपीलांट पक्ष का हक, स्वामित्व या अधिकार हो उसको सिद्ध व प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत कर प्रदर्श नहीं करवाया गया था। विवादित भूमियां राजस्व रिकार्ड में दादुपंथी संत श्री रामदयाल जी महाराज का तिबारा के रूप में दर्ज होकर एक धार्मिक मंदिर मूर्ति की भूमियों की श्रेणी में आती हैं। इन माफी की भूमियों के द्वारा ही उक्त मंदिर मूर्ति हेतु आवश्यक पूजा, अराधना, धार्मिक संस्कार समारोह आदि सम्पन्न होते हैं। इस प्रकार उक्त मंदिर मूंर्ति की आवश्यकता हेतु तत्कालीन राज्य द्वारा प्रदत्त माफी की भूमि पर निजी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की निजी खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को निजी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ ने 2015(4) आर0एल0डब्ल्यू0(राज0)पेज 2721 तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबंदी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें और यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। आराजी मूर्ति मंदिर की मानी जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें, इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/787/2006/टोंक** **रंगलाल बनाम तिबारा श्री रामदयाल जी महाराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होगें। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये हैं, जो विधिसम्मत हैं जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 23.12.98 व 31.01.2006 बहाल रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य** **सदस्य**	